

प्रेषक,

दीपक कुमार
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/ अध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति,
उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 24 मार्च, 2026

विषय: जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि प्रदेश में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। इस हेतु उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग (Optimum Utilization) के दृष्टिगत आपके द्वारा परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण तथा पूर्ण परियोजनाओं के अनुरक्षण का कार्य किया जाना है।

2- जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जनपद स्तर पर प्रत्येक माह विभाग के पोर्टल jjm.up.gov.in के जिला डैशबोर्ड पर जाकर जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की नियमित बैठक आयोजित किया जाना अत्यन्त आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। मासिक बैठकों के माध्यम से योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा संचालन एवं अनुरक्षण की गहन समीक्षा, क्षेत्रीय स्तर पर उत्पन्न समस्याओं की पहचान, विभागीय समन्वय, समयबद्ध क्रियान्वयन की सुनिश्चितता तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही संभव हो पाती है। यह बैठकें न केवल मिशन की प्रगति पर सतत निगरानी सुनिश्चित करती हैं, बल्कि उत्तरदायित्व, पारदर्शिता एवं लक्ष्य आधारित कार्यप्रणाली को भी सुदृढ़ करती हैं, जिससे जल जीवन मिशन के लक्ष्यों का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा। जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की समीक्षा बैठक में निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है :-

(1) आपके निर्देशन में जिला स्तरीय टीम द्वारा समस्त निर्माणाधीन, निर्माण के उपरान्त ट्राइल रन में चल रही तथा सफल ट्राइल रन पूर्ण होने के उपरान्त संचालन एवं अनुरक्षण में चल रही परियोजनाओं की विस्तृत ग्रामवार प्रगति विभाग के पोर्टल jjm.up.gov.in पर रियल टाइम में उपलब्ध कराई जा रही है। इस पोर्टल पर आपके जनपद का डैशबोर्ड खोलने पर यह सूचना पब्लिक डोमेन में विस्तृत रूप से उपलब्ध हैं। कृपया इसकी विधिवत् समीक्षा करते हुए निर्माणाधीन परियोजनाओं को त्वरित गति से पूर्ण कराने का कष्ट करें तथा

सुनिश्चित करें कि परियोजनाओं के विभिन्न कम्पोनेंट्स हेतु वांछित संसाधन समय पर उपलब्ध कराए जा रहे हों।

कृपया सभी खोदी हुई सड़कों को मोटरेबुल बनाने का एक अभियान चलाकर समयबद्ध रूप से उन्हें मोटरेबुल कराएं, जो योजनाएं संचालन एवं अनुरक्षण में चली गयी हैं, उनसे सम्बन्धित खोदी गयी सड़कों को पूर्ववत् पुनर्स्थापित कराया जाए।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निर्माण कार्यो व उपयोग में लाई जा रही सामग्री की गुणवत्ता उत्कृष्ट स्तर की बनी रहे तथा निरन्तर मार्ग-दर्शन व अनुश्रवण किया जाता रहे।

(2) इसी प्रकार सभी ट्राइल-रन में चल रही योजनाओं में गैपक्लोजिंग, सर्टिफिकेशन तथा ऑटोमेशन के कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण कराये जाने तथा शीघ्रातिशीघ्र इन योजनाओं को संचालन एवं अनुरक्षण हेतु लिये जाने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

(3) जो योजनायें संचालन एवं अनुरक्षण में चली गयी हैं, कृपया उनमें यह सुनिश्चित कराया जाये कि-

- (i) सभी ग्राम 'हर घर जल' प्रमाणित हो गये हैं।
 - (ii) इन सभी ग्रामों का जलार्पण शीघ्रातिशीघ्र कराने का कार्यक्रम बना लें।
 - (iii) इन ग्रामों में कृपया सुनिश्चित करें कि नियमित जलापूर्ति शत-प्रतिशत घरों में हो।
- (4) उपरोक्त तीनों श्रेणी के सभी ग्रामों में-
- (i) जितने ग्रामों में 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत या 90 प्रतिशत से नीचे नियमित जलापूर्ति हो रही है, उनमें भी कमियाँ ठीक कराकर शत-प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाए।
 - (ii) जिन ग्रामों में विभिन्न कारणों से नियमित जलापूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, उनकी विधिवत समीक्षा की जाए। विद्युत आपूर्ति में बाधा अनियमितता, सड़क चौड़ीकरण के कार्यों के कारण आपूर्ति में अवरोध, चोरी, टिल्लू पम्प लगाए जाने तथा ग्राम पंचायतों द्वारा पाइपलाइन क्षतिग्रस्त किए जाने जैसी समस्याओं की रोकथाम हेतु आपके कुशल नेतृत्व में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। अपरिहार्य परिस्थितियों में इस प्रकार के व्यवधान उत्पन्न होने पर तत्काल हस्तक्षेप कर जलापूर्ति की सुचारु व्यवस्था बहाल करायी जाए। इस प्रकार के सभी व्यवधानों का विवरण विभागीय पोर्टल (jjm.up.gov.in) की टेबिल संख्या- 18 कॉलम संख्या-09 (फेज-1) एवं टेबिल संख्या-20 कॉलम संख्या-20 (फेज-2,3,5) पर उपलब्ध है, जिसकी नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाए।
 - (iii) वर्तमान में ग्राम पंचायतों में वित्त आयोग की धनराशि उपलब्ध होने के बाद नाली, खड्गजे के कार्य कराये जाने से पाइप लाइन एवं पेयजल गृह संयोजन क्षतिग्रस्त किये जाने के प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं। कृपया इन पर समयबद्ध रूप से वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

- (iv) इन सभी ग्रामों में ऑटोमेशन का कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए तथा सभी ओवरहेड टैंक्स के रीयल टैंक डाटा पोर्टल में उपलब्ध होना चाहिए। कृपया इसे सुनिश्चित करा लें।
- (v) यह भी सुनिश्चित करा लें कि सभी योजनाओं में लगातार क्लोरिनेशन हो रहा है।
- (vi) जिन ग्रामों में अभी ओवर-हेड टैंक्स पूर्ण नहीं हैं। वहाँ भी यथासम्भव सीधे पम्पिंग के माध्यम से जलापूर्ति की जाए तथा समुचित क्लोरिनेशन सुनिश्चित किया जाए।
- (vii) पोर्टल पर समीक्षा करते हुए समस्त शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
- (viii) कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि सभी ग्रामों की सड़क पूर्ण रूप से रेस्टोर करा दी गयी है।

3- कृपया जनपद में उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) की योजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराकर यह सुनिश्चित कराये कि सभी घरों में नियमित जलापूर्ति हो तथा इन योजनाओं का समुचित रूप से जलार्पण कराया जाए।

4- इन ग्रामों के अनुरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) द्वारा जो वेंडर सूचीबद्ध किये गये हैं उनके माध्यम से इन ग्रामों का अनुरक्षण कराया जाए तथा जिन ग्रामों में शत-प्रतिशत पानी नहीं जा रहा है उनमें वेंडर के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र ग्रामों में जलापूर्ति सुनिश्चित करायी जाए। वेंडर द्वारा आंशिक जलापूर्ति किये जाने की दशा में कृपया सुनिश्चित करें कि वेंडर द्वारा किसी भी प्रकार के अनुचित कारणों से जलापूर्ति में कमी न की जाए।

5- उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं की समीक्षा आवश्यक है -

- (1) पाइप पेयजल योजनाओं की RPWSS (Rural Piped Water Supply Scheme) Sujalam ID बनाया जाने की प्रगति की समीक्षा।
- (2) सुजलाम भारत ऐप के माध्यम से RPWSS (Rural Piped Water Supply Scheme) Sujalam ID के अंतर्गत दर्शाये गये Assets की जी.ओ. टैगिंग की प्रगति की समीक्षा।
- (3) पाइप पेयजल योजनाओं के सुचारु रूप से संचालन हेतु पंचायत सचिव के द्वारा जल सेवा आंकलन हेतु ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) की बैठक आयोजित कराकर ई.ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से जे0 जे0 एम0 डैशबोर्ड 2.0 पर बैठक से सम्बन्धित कार्यवृत्त अपलोड करने तथा मूल्यांकन प्रपत्र भरे जाने की समीक्षा।
- (4) पाइप पेयजल योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण होने के उपरान्त भारत सरकार द्वारा निर्गत Handing Over & Commissioning Protocol का पालन करते हुए मा0 जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में “जल अर्पण दिवस” का आयोजन कराकर योजनाओं को विधिवत ग्राम पंचायत को हस्तानान्तरित किये जाने की समीक्षा।

(5) दिनांक 08 मार्च, 2026 (अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस) से 22 मार्च, 2026 (विश्व जल दिवस) तक सभी जनपदों में 'जल उत्सव कार्यक्रम' का आयोजन किया जाना है। इस दौरान भौतिक रूप से पूर्ण सभी ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का 'जल अर्पण दिवस' आयोजित करते हुए ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किया जाए। पूर्व में हस्तान्तरित योजनाओं पर भी संदर्भित अवधि में 'जल अर्पण दिवस' का आयोजन करते हुए लोगों को पेयजल के समुचित उपयोग स्वच्छता एवं जल संरक्षण इत्यादि के सम्बन्ध में जागरूक किया जाए। जल उत्सव कार्यक्रम के लिए योजनाओं का चयन एवं जल अर्पण दिवस का रोस्टर तैयार कराकर एक सप्ताह के अन्दर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पोर्टल jjm.up.gov.in पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(6) सभी जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी अपने जनपद में क्षेत्र भ्रमण करें तथा जलार्पणजल महोत्सव कार्यक्रम में यथासंभव स्वयं प्रतिभाग भी करें।

(7) ग्रामीण जलापूर्ति कार्यों की गुणवत्ता एवं दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने तथा निष्पादित कार्यों की निगरानी को सुदृढ़ करने में थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन एजेंसियों (TPIAs) द्वारा निरीक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, TPIAs द्वारा किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा।

(8) जल जीवन मिशन के अतिरिक्त अन्य ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाएं, जो पूर्व से निर्मित हैं, उन्हें Functionality के आधार पर Fully-functional, Partially Functional, Non-Functional श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इन योजनाओं का गहन अनुश्रवण करते हुए अधिक से अधिक योजनाओं को क्रियाशील कराकर उनके माध्यम से नियमित एवं गुणवत्ता युक्त जलापूर्ति सुनिश्चित कराये जाने की समीक्षा।

(9) प्रत्येक जिले में पर्याप्त संख्या में FTK (Field Test Kit) उपलब्ध कराए जाने के साथ-साथ महिलाओं को जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रशिक्षित किया गया है। FTK प्रशिक्षित महिलाओं के माध्यम से जल गुणवत्ता की नियमित जांच कराते हुए परिणाम को WQMIS पोर्टल पर अपडेट किये जाने तथा जहाँ जल गुणवत्ता परीक्षण में सन्दर्भ पया जाए वहाँ तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने की समीक्षा।

(10) जिन ग्रामों में शत-प्रतिशत पेयजल गृह संयोजन प्रदान किए जा चुके हैं, उन ग्रामों में नियमित एवं सुचारु जलापूर्ति सुनिश्चित करते हुए उन्हें 'हर घर जल' घोषित करना तथा जो ग्राम हर घर जल घोषित कर दिए गए हैं, उनको हर घर जल प्रमाणित किये जाने की समीक्षा।

(11) जिन योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है उनका ट्रायल रन पूर्ण करते हुए संचालन एवं अनुरक्षण प्रारम्भ किये जाने की समीक्षा।

(12) जल जीवन मिशन के अन्तर्गत रोड रेस्टोरेशन, पाइप लाइन लीकेज आदि से संबंधित समस्त शिकायतों (Grievance Redressal) का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने की समीक्षा।

(13) ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं से की जा रही पेयजल आपूर्ति में किसी भी विभाग अथवा ग्राम पंचायत द्वारा सड़क चैंडीकरण/ नये सड़क के निर्माण इत्यादि के कारण पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से, पेयजलापूर्ति में व्यवधान (Disruption) की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, जल निगम (ग्रामीण) से पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित कराया जाए। अपरिहार्य स्थिति में पाइप लाइन इत्यादि क्षतिग्रस्त होने पर उक्त का मरम्मत/ पुनर्स्थापन का कार्य शासनादेश संख्या 67/2024/2058/76-1-2024/1636701 दिनांक 04.10.2024 में दी गई व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित विभाग के व्यय पर शीघ्रताशीघ्र पूर्ण कराकर जलापूर्ति सुनिश्चित कराये जाने की समीक्षा।

(14) VWSC डैशबोर्ड- ग्राम पंचायत स्तर पर जल जीवन मिशन से सम्बन्धित योजनाओं के आँकड़ों का अवलोकन तथा जल सेवा आकलन किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा JJM-2.0 पोर्टल (<https://ejalshakti.gov.in/jjm2>) पर VWSC डैशबोर्ड विकसित किया गया है, जिस पर ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित रियल टाइम सूचनाएं उपलब्ध है। ग्राम सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के लॉगिन आई 0 डी 0 एवं पासवर्ड के माध्यम से VWSC डैशबोर्ड पर लॉगिन करते हुए उपलब्ध सूचनाओं का अवलोकन करने, जल सेवा आकलन के माध्यम से फीडबैक दिये जाने की व्यवस्था है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठकों में जिला पंचायती राज अधिकारी के माध्यम से VWSC डैशबोर्ड पर ग्राम सचिव/ ग्राम प्रधान के ऑनबोर्ड होने /जल सेवा आकलन करने की समीक्षा।

(15) जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठकों से सम्बन्धित कार्यवृत्त को JJM-2.0 पोर्टल (<https://ejalshakti.gov.in/jjm2>) पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(16) प्रश्नगत पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण तथा दीर्घकालिक स्थायित्व हेतु जिला तकनीकी इकाई स्थापित किये जाने के निर्देश शासनादेश संख्या-7/2026/493/छिहत्तर-1-2026 (2027542) दिनांक 28 फरवरी, 2026 द्वारा दिये गये हैं। उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(17) शासनादेश संख्या-63/2024/2066/ छिहत्तर -1-2024-1739613 दिनांक 29 अगस्त, 2024 द्वारा ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु 'अनुरक्षण नीति-2024' प्रख्यापित की गई है, उक्त नीति के अनुसार सभी पाइप पेयजल योजनाओं को संचालन एवं अनुरक्षण में लाया जाना है। तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(18) पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण में ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

6- जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की मासिक बैठकों में राज्य स्तर पर विकसित DWSM डैशबोर्ड (jjm.up.gov.in) के माध्यम से समीक्षा किये जाने के संबंध में-

DWSM डैशबोर्ड, जल जीवन मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में जिला स्तर पर योजनाओं की प्रगति की निगरानी हेतु विकसित एक महत्वपूर्ण वेब आधारित प्लेटफार्म है। इस डैशबोर्ड में प्रत्येक जिले की योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, हर घर जल घोषित एवं प्रमाणित ग्रामों की स्थिति, ग्राम पंचायत/ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति का विवरण, संचालन एवं

अनुरक्षण में ली गई योजनाओं से संबंधित सूचना तथा शिकायत निस्तारण इत्यादि से संबंधित सूचनाओं को एकीकृत रूप से प्रदर्शित करने की व्यवस्था की गई है। DWSM डैशबोर्ड के माध्यम से जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) स्तर पर आयोजित मासिक समीक्षा बैठकों में प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग के फलस्वरूप योजनाओं के समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

7- जल सारथी ऐप (Jal Saarthi App)

(1) जल जीवन मिशन (JJM) के अंतर्गत जल सारथी ऐप (Jal Saarthi App) विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सेवाओं की निगरानी, संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) को सुदृढ़ करना तथा उपभोक्ता स्तर पर सेवा वितरण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। यह ऐप फील्ड स्तर पर कार्यरत तकनीकी कर्मियों के माध्यम से वास्तविक समय (Real Time) में जलापूर्ति से संबंधित सूचनाओं का संकलन करने में सहायक है। इस ऐप के माध्यम से ग्राम स्तर पर जलापूर्ति की स्थिति, जलापूर्ति में व्यवधान, उपभोक्ता शिकायतें एवं O&M से संबंधित गतिविधियों को डिजिटल रूप से दर्ज किये जाने की व्यवस्था की गई है।

(2) इस ऐप का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिव, ग्राम प्रधान, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों एवं आम जनमानस से डाउनलोड कराकर जल जीवन मिशन से सम्बन्धित ग्राम स्तरीय / जिला स्तरीय/ राज्य स्तरीय आँकड़ों का अवलोकन करने तथा जल सेवाओं के सम्बन्ध में आवश्यक फीडबैक देने हेतु प्रोत्साहित किया जाए, जिससे ग्रामीण जल सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सके।

8- आगामी ग्रीष्म ऋतु के दृष्टिगत विगत वर्षों की भांति यह सुनिश्चित कराया जाए कि कहीं भी पेयजल संकट न आने पाये और आवश्यकता के अनुरूप डायरेक्ट वॉटर सप्लाई के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाए। उस पर यह भी सुनिश्चित कराया जाए कि क्लोरोनेशन होता रहे और गुणवत्ता की कमी न आने पाये।

अतः जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति द्वारा उपरोक्त वर्णित डैशबोर्ड एवं ऐप के माध्यम से नियमित समीक्षा / अनुश्रवण करते हुए निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार योजनाओं को पूर्ण कराकर ग्रामीण जनमानस को नियमित रूप से निर्धारित मात्रा में गुणवत्तायुक्त पेयजल की आपूर्ति करते हुए मिशन के लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

Digitally signed by
DEEPAK KUMAR
Date: 23-03-2026
19:19:40

(दीपक कुमार)

कृषि उत्पादन आयुक्त

संख्या -18 /2026/674(1) /छिहत्तर-1-2026 (2027542), तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
5. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
ANURAG SRIVASTAVA
Date: 24-03-2026
11:17:35

(अनुराग श्रीवास्तव)

अपर मुख्य सचिव।